लागू नहीं होने देंगे अनुबंध

■ नर्मदा जल योजना के अनुबंध के विरोध में कांग्रेस ने निकाली मां नर्मदा गांधी यात्रा

कांग्रेस की जन जाग्रति रैली।

भास्कर संवाददाता | खंडवा

नर्मदा जल योजना की विसंगतियों को लेकर सोमवार को कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष रिंकू सोनकर के नेतृत्व में मां नर्मदा गांधी जनजागृति यात्रा निकाली गई। सुबह 11 बजे गांधी भवन से निकली यात्रा में जनजागृति रथ एवं वाहनों के काफिले थे। रैली गांजा गोदाम, बांबे बाजार, टाउनहाल, गंज बाजार होते हुए कहारवाड़ी चौक पहुंची। यहां कांग्रेस नेताओं ने लोगों से कहा विश्वा कंपनी का अनुबंध धोखा है। अनबंध को जनहित में निरस्त किया जाए। मां नर्मदा गांधी यात्रा संयोजक रिंकू सोनकर ने बताया मीटर व कनेक्शन के नाम पर 2500 से 4500 रुपए लोगों को देना होगा। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सचिव परमजीत सिंह नारंग ने बताया नर्मदा जल अनुबंध का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। सदाशिव भवरिया ने कहा मंत्री विजय शाह ने हमेशा जनता से छल किया। झांसा देकर सत्ता हासिल की है, जनता को विश्वा कंपनी के रहमो करम पर छोड़ दिया है। यात्रा के दौरान फरहान शेख मौजूद थे। अजय ओझा ने भी अनुबंध न करने की अपील की।

जनरल बॉडी लगाएगी हाईकोर्ट में पीआईएल

खंडवा| नर्मदा जल योजना की शर्तों के विरोध में सोमवार को जिला अधिवक्ता संघ की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। इसमें 12 सदस्यीय अधिवक्ताओं की समिति का गठन किया, जो नर्मदा जल योजना के पहलुओं का विश्लेषण कर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाएगी। अधिवक्ता संघ रवींद्र झंवर ने बताया जनरल बॉडी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय पारित किए। समिति में अधिवक्ता बीए भाटे, पीसी जैन, शमशुद्दीन खान, जेएन शेख, हर्ष शर्मा, देवेंद्रसिंह यादव, मुकेश नागौरी, रवींद्र झंवर, रवींद्र पाथरीकर, राकेश थापक, विकास जैन, दिलीप श्रीमाली को सदस्य मनोनीत किया है।

आज होगी बैठक- नर्मदा जल को लेकर शहर स्तर की केंद्रीय संघर्ष समिति के गठन के लिए बैठक मंगलवार शाम 7.30 बजे गायत्री शक्तिपीठ में होगी।

पेंशनर्स करेंगे प्रदर्शन- मंगलवार सुबह 10.30 बजे जिला पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा निगम चौराहे पर प्रदर्शन किया जाएगा। जानकारी अध्यक्ष मांगीलाल कानूनगो ने दी।

नर्मदा जल | अधिवक्ता संघ के साथ शहरवासियों की बैठक में उठा सवाल

क्या सांसद-विधायक है जनता के साथ...?

- नर्मदा जल संघर्ष समिति के गठन के बाद सांसद-विधायक से लिखित में लेंगे अभिमत
- अब 15 अप्रैल को गुजराती धर्मशाला में बनेगी आगे की रणनीति

भास्कर संवाददाता | खंडवा

जिन्हें हमने चुना है, क्या वे वास्तव में जनता के साथ है? इसके लिए विधायक और सांसद से बात करना होगी। यदि वे जनहित में सहयोग की बात करते हैं तो उनसे लिखित में अभिमत लें। कौन नेता क्या कहता है इस बात की जानकारी हमें जनता को देना होगी। सांसद और विधायक यदि पार्टी या संगठन का बहना बनाकर जनता का सहयोग नहीं करते हैं तो उनकी हकीकत लोगों को बताई जाएगी। अब पूरे शहर को एकजुट होकर सड़कों पर उतरना होगा। इसके लिए रैली, जनमत संग्रह और धरना भी दिया जाएगा।

यह निर्णय मंगलवार रात जिला अधिवक्ता संघ द्वारा गायत्री शक्तिपीठ में बुलाई बैठक में शहर के गणमान्य लोगों ने लिया। बैठक रात 8 से 9.30 बजे तक चली। बैठक में नर्मदा जल संघर्ष समिति बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। समिति की अगली बैठक 15 अप्रैल को रात 8 बजे पंधाना रोड स्थित गुजराती धर्मशाला में होगी। इसमें कार्यकारिणी गठित करने के साथ ही आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दिलीप श्रीमाली ने की। संचालन अधिवक्ता रवींद्र झंवर और देवेंद्र यादव ने किया। आभार जितेंद्र राउत ने माना।

इन संगठनों के सदस्य जुड़े संघर्ष समिति से- जिला अधिवक्ता संघ, गायत्री परिवार, अनेक्स वेलफेयर सोसायटी, मिष्ठान विक्रेता संघ, पूर्व निमाड़ चेंबर ऑफ कामर्स, पेंशनर्स एसोसिएशन, विश्व हिंदू परिषद, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी, संकल्प वेलफेयर एसोसिएशन, बिंब फिल्म सोसायटी, निगम पार्षद, स्पंदन, नट निमाड कला समूह।

गायत्री शक्तिपीठ में जिला अधिवक्ता संघ की बैठक में उपस्थित गणमान्य लोग।

यह निर्णय भी लिए

- शहर में जितने भी संगठन कार्यरत हैं उनके अध्यक्ष और सचिव को समिति में सदस्य बनाया जाए।
- सभी 50 वार्डों के पार्षदों से चर्चा की जाए। इससे वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी कि वे जनता के साथ है या नहीं। आंदोलन की शुरुआत वार्ड स्तर से होगी। पार्षद की हकीकत जनता के सामने आएगी।
- जनजागरण के लिए 11 और 21 सदस्यों की कार्य समिति बनाई जाए। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को भी समिति में शामिल किया जाए।
- आंदोलन के लिए फंड की आवश्यकता होगी। इसके लिए समिति का अलग से खाता खुलवाया जाए। इसमें लोग सीधे या चेक से रुपए जमा कर सकेंगे।

बैठक में यह दिए सुझाव

▮ हमारे सामने संवैधानिक अधिकारों के हनन की स्थिति है। हम हमारे पानी का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं हो इसके लिए हम एकजुट हो।"
रवींद्र झंवर, अधिवक्ता

▮ 23 साल के लिए नगर को गिरवी रखने और अवैधानिक रूप से जनता से अनुबंध कर लूटने का प्रयास चल रहा है। निगम को जो आमदनी होनी चाहिए उसे कंपनी को सौंप दिया गया है।"
मुकेश नागोरी, अधिवक्ता

▮ शहर हित की लड़ाई है। इसलिए संघर्ष समिति में अधिक से अधिक लोग जोड़े जाए। यदि विधायक और सांसद सहमति देते हैं तो उन्हें संरक्षक बनाया जाए। "
नारायण नागर, पूर्व पार्षद

▮ आंदोलन हमें सरकार के खिलाफ करना होगा। उग्र रूप से जनसमूह को सड़कों पर उतरना होगा ताकि सरकार हिल जाए। केंद्र से राशि यूआईडीएसएसएमटी योजना के दी। प्रदेश सरकार और निगम ने इसका स्वरूप बदल कर जनभागीदारी के नाम पर कंपनी को सौंप कर जनता के साथ धोखा किया।"
जगन्नाथ माने, समाजसेवी

▮ मीडिया को विश्वास में लेने के साथ ही आम लोगों को जागरुक करना होगा। बोहरा समाज हर संघर्ष में आगे रहेगा।"
जोयेब भामगढ़वाला, सचिव बोहरा समाज

▮ समिति गैर राजनीतिक ढंग से संघर्ष करेंगी। इसमें इंजीनियर और कांट्रेक्टरों को भी शामिल किया जाए। यदि हम पालिसी बदल नहीं सकते और संशोधन की स्थिति बनती है तो उसमें क्या हो उन बिंदुओं को तय कर लिया जाए।"
सुरेश गुप्ता, सेवानिवृत्त एसडीओ

नगर निगम निरस्त करे विश्वा का करारनामा

■ पेंशनर्स एसोसिएशन ने निगम आयुक्त के नाम सौंपा ज्ञापन

निगम में नर्मदा जल योजना का विरोध करते पेंशनर्स।

भास्कर संवाददाता | खंडवा

पेंशनर्स एसोसिएशन ने मंगलवार सुबह 11 बजे निगम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर नर्मदा जल योजना के अनुबंध का विरोध किया। संघ अध्यक्ष मांगीलाल कानूनगो ने इस अवसर पर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन कार्यालय अधीक्षक अखिलेश डोंगरे को सौंपा। इसमें विश्वा कंपनी से निगम द्वारा किए करारनामे को निरस्त करने की मांग की गई। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ की ओर से अध्यक्ष दिलीप श्रीमाली ने भी निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। निगम कार्यालय में आयुक्त और महापौर की अनुपस्थिति पर भी पेंशनरों ने रोष व्यक्त किया।

अभी तक लोग निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित की गई दुकानों से ही किताबें, ड्रेस व जूते खरीदने की पाबंदी झेलते आ रहे हैं, अब ऐसा ही कुछ नर्मदा जल हासिल करने के लिए भी झेलना पड़ेगा। अब नल कनेक्शनधारी को मीटर, पाइप व अन्य सामग्री नगर निगम व कंपनी द्वारा निर्धारित दुकान से ही खरीदना पड़ेगी। मनमर्जी की हद तो तब हो जाती है जब कोई उपभोक्ता कंपनी का कनेक्शन नहीं लेना चाहेगा तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उस पर कनेक्शन थोपा जाएगा।

ऐसे तो बंधक हो जाएगा शहर

हद है मनमर्जी की

- मीटर लगाने व उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी

खंडवा
khandwa@patrika.com

नर्मदा जल पाने के लिए शहरवासियों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पानी के लिए लोग स्वयं मीटर लगवाएंगे और उसकी सुरक्षा दीवार भी तैयार कराएंगे। यही नहीं जलप्रदाय के लिए नगर निगम व कंसेशनर (विश्वा यूटिलिटिज प्रालि हैदराबाद) के पास उपलब्ध न होने पर नगर निगम द्वारा पहले से निर्धारित दुकान से ही सामग्री खरीदना होगी।

अब उपभोक्ता को निर्धारित दुकान से ही खरीदना होगी सामग्री

नगर निगम व विश्वा कंपनी के अनुबंध के मुताबिक शहर के सभी जल उपभोक्ताओं से कनेक्शन के पहले 23 बिंदुओं पर आधारित शर्तों पर घोषणा पत्र भराया जाएगा। घोषणा पत्र की शर्त क्र. 8 कहा गया है कि पाइप लाइन की औसत जीवन 15 वर्ष का होता है। 15 वर्ष के बाद इसे बदलने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की रहेगी। क्र. 14 में कहा यदि जलप्रदाय का मीटर नगर पालिक निगम खंडवा एवं कंसेशनर के पास उपलब्ध नहीं है तो नगर पालिक निगम द्वारा अधिकृत निर्माण शॉप से ही खरीदना होगा। मीटर को अच्छी स्थिति में रखने की जिम्मेदारी भी उपभोक्ता की होगी। क्र. 17 में कहा मीटर सुरक्षा के लिए धातु या ईंट के कक्ष का निर्माण स्वयं उपभोक्ता कराएगा।

(सिटी रिपोर्टर)

कंपनी को ये भी हैं अधिकार

- अधिसूचना जारी होने के 30 दिन बाद लागू हो जाएगी कंपनी की व्यवस्था।
- जो उपभोक्ता मीटर लगाने के लिए तैयार नहीं होगा, निगम की मदद से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- कंपनी हर तीसरे माह के अंत में नगि को मीटरों का बिल प्रस्तुत करेगा।

मर्जी से नहीं बदल सकेंगे पाइप

यदि किसी उपभोक्ता के यहां पाइप लाइन में कोई दिक्कत होती है तो कंपनी के निर्धारित कर्मचारी ही इसे ठीक करेंगे। कोई भी उपभोक्ता खराब पाइप ठीक नहीं करा सकेगा न ही नया पाइप फिटिंग कराएगा।

सुपरविजन निगम का, कार्रवाई का हक कंपनी को

विश्वा कंपनी द्वारा स्थापित व्यवस्था का सुपरविजन तो नगर निगम करेगी लेकिन समस्या व अनियमितता मिलने पर उसका निराकरण का अधिकार निगम को नहीं होगा। जो गलती करेगा वही इसे सुधारेगा भी।

1 सितंबर के बाद सार्वजनिक कनेक्शन खत्म

चार महीने बाद यानी 1 सितंबर के बाद शहरभर में लगे सभी सार्वजनिक कनेक्शन खत्म हो जाएंगे। यदि किसी को प्यास बुझाना है तो केवल होटल ही सहारा होगी। पानी भी केवल होटल मालिक की शर्तों पर मिलेगा।

- सभी को कनेक्शन लेना नहीं रहेगा अनिवार्य, केवल मीटर लगाए जाएंगे

23 साल बाद पानी के हकदार होंगे

नगर निगम खंडवा शहर के जलप्रदाय की संपूर्ण व्यवस्था 1 सितंबर 2012 को विश्वा कंपनी को सौंप देगी। इसके बाद विश्वा कंपनी द्वारा तय किए गए नियमों व शर्तों के अनुसार ही काम किया जा सकेगा। 23 साल बाद ही नगर निगम का शहर की जल व्यवस्था पर अधिकार होगा।

पत्रिका आवाज

1 सितंबर के बाद शायद ही चालू रहें ये सार्वजनिक नल।

हां, बंद हो जाएंगे सार्वजनिक नल

शहर में लगे सभी सार्वजनिक नलों पर नगर निगम का अधिकार नहीं रहेगा और इन्हें बंद कर दिया जाएगा। जब हम शुद्ध जल उपलब्ध कराएंगे तो तो फिर शहरवासी बोरवेल व कुओं का पानी क्यों उपयोग में लेंगे? मीटर के साथ खुदाई व पाइप लाइन बिछाने की राशि कंपनी वसूल करेगी ही।

–प्रवीण कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, विश्वा कंपनी

सुलगते सवाल

1. क्या उपभोक्ता को नर्मदा जल पाने के लिए इतने प्रतिबंध सहना चाहिए।
2. पूरे प्रदेश में मीटर से पानी बेचने के लिए खंडवा शहर ही मिला था क्या?

क्या आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं? यदि हां तो तुरंत हमें अपनी प्रतिक्रिया इन नंबरों पर एसएमएस करें।

-9425097484

-9827285990

हम बर्दाश्त नहीं करेंगे

खंडवावासियों को जब पत्रिका के माध्यम से पता चला कि उन्हें तो अपने घर के कुएं व ट्यूबवेल से पानी लेने का भी अधिकार नहीं है तो वे गुस्से से फट पड़े। कुछ ने तो यहां तक कह दिया, शहर की जल व्यवस्था निजी हाथों में सौंपकर नगर निगम ने धोखा किया है। इसका कड़ा विरोध करेंगे। नहीं माने तो आमरण अनशन भी करेंगे। करीब 100 लोगों ने एसएमएस और फोन करके नर्मदा जल के लिए नगर निगम और निजी कंपनी के इस गठजोड़ पर भारी विरोध जताया है।

- विश्वा कंपनी का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, नगर निगम कमिश्नर का ट्रांसफर करें।
  -9893738274, 8654802374
- हम विश्वा कंपनी के अनुबंध का विरोध करते हैं।
  -9806851736, 9977633492, 9827798093
- नगर निगम और कंपनी की योजना त्रुटिपूर्ण है।
  -9425085492
- मैं ऐसी योजना का विरोध करता हूं।
  -महेश कुमार 8269960108, 9713759346
- नो, आईडिया नो एग्री
  -9424867084
- 23 साल तक खून चूसेगी कंपनी, हर प्रकार की मनमानी करेगी। कोई इसे रोक नहीं पाएगा, एक बार फिर से विचार हो।
  -9927244090
- विरोध में आमरण अनशन में करना पड़ा तो करेंगे, सबसे पहला व्यक्ति मैं रहूंगा।
  8989718019
- इस मामले में मैं विश्वा कंपनी का विरोध करता हूं, इंदौर, भोपाल में इसे क्यों नहीं लागू किया गया।
  -9826039293
- निगम के कर्मचारियों को घूस मिल गई है कंपनी की शर्तों को मानने के लिए।
  -9074036595
- जनता एमकेड आवाज में सांस लेना चाहती है, न कि घुटन। प्रकृति को देन पानी को अत्यधिक दाम में लेना उचित नहीं है।
  -9827241455
  -9806027150
- नर्मदा जल के लिए जो प्रतिबंध लगाए है, मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं।
  प्रकाश मालवीय, 9827285643
- हमें नर्मदा जल इतनी पाबंदी से नहीं चाहिए।
  -9827211740
- विश्वा का लायसेंस रद्द कर दो।
  -9806011267
- इस मामले में मैं विश्वा कंपनी का विरोध करता हूं। जब वे पानी का पैसा ले रही है तो फिर निगम किस लिए।
  डॉ. परिजात गांगड़े, 9826039293
- आजाद देश हिंदुस्तान के वासी हैं। किसी निजी कंपनी की गुलामी न पसंद की है न पसंद करेंगे। हम इस कंपनी का विरोध करते हैं।
  -9039591665
- ऐसी योजना से तो वर्तमान की व्यवस्था अच्छी है, कम से कम पानी सहजता से मिल रहा है।
  -9826053607
- जनता पर कुठाराघात है, नगर निगम को कोई अधिकार नहीं ऐसे फैसले लेने का।
  -9827351889
- हमें अपने ही शहर के पानी से वंचित किया जा रहा है।
  -9039984477
- पानी का निजीकरण करना अनुचित है, इस पर गौर किया जाना चाहिए।
  -9039482891
- पानी के लिए कंपनी को छूट देना गलत है। इसका सड़क से विरोध होगा।
  -9770375949
- नर्मदा जल के लिए मनमाने तरीके वसूल करना एक तरह से तानाशाही दिखाता है। नलों में मीटर लगाने का हम विरोध करते हैं। जरूरत पड़ी तो जनता आंदोलन पर भी उतर सकती है।
  अजीत कुमार मिश्रा- 9750992076
- इस प्रणाली की शुरुआत किसी बड़े शहर से होती तो ठीक था लेकिन खंडवा जैसे शहर से होना अजीब की बात है। हमारे जल स्रोत जब हमारे ही नहीं होंगे तो फिर सोच लो कि ये नगर निगम अपने शहर की भोली भाली जनता क्या हाल करेगी। इसे पारित नहीं होने देना था। इसकी वसूली की राशि निगम के पास जाती तो भी ठीक था, कंपनी के हाथ जाने की बात हजम नहीं हुई।
- किसी भी कंपनी को पानी के लिए इतनी छूट नहीं दी जाना चाहिए। इतने प्रतिबंध के बाद नर्मदा जल मिलने से तो अच्छा न मिले।
  -सुधीरसिंह पंवार
- किसी कंपनी को इतनी छूट नहीं दी जाना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है, मान लो कभी की लाइन कट गई और किसी ठेके का मीटर खराब बंद हो गया तो गरीब कहेंगे कंपनी के पास जाएंगे, इसलिए कंपनी को ये अधिकार नहीं दिए जाए।
  विकास ठाकुर, 9406813784
- नर्मदा इतनी जटिल हो गई कि गरीबों के पानी पीने का भी हक छीन रही है। हम सभी को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए।
  -इंजीनियर इस्माइल बेग 8962032889
- जनता को चाहिए की भविष्य की परेशानी से बचने के लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर न करें।
  -सुभाष शर्मा
- जल के निजीकरण का सुझाव दूषा हुआ। मैं अपने पानी पर किसी और के अधिकार के पक्ष में नहीं हूं। मैं सोचता हूं इससे शहर में असुरक्षा का भाव पैदा होगा।
  -समीर, 8109069554
- मेरा मानना है यह ठेका रद्द किया जाना चाहिए। दस करोड़ रुपए में नगर निगम को बेच दिया गया है। शहर की जनता को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए।
  -ओम कपूर, 9827792051
- पानी देने का समय निर्धारित कर सभी से एक सी राशि वसूलना चाहिए। निगम को हिंदी कॉपी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
  - तरुण मंडलोई, 9406655943
- यह गलत है। सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए।
  -एमपी श्रीवास, 2244029
- विश्वा कंपनी के अनुबंध का विरोध करते हैं।
  डॉ. उदय कुमार सोनी, 9329848549

विश्वा की जगह निगम करे जल वितरण

■ नर्मदा जल अनुबंध और शर्तों के खिलाफ उठे विरोध के स्वर

खंडवा। शहर में नर्मदा जल वितरण की शर्तों और अनुबंध के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अधिवक्ता संघ ने कहा है कि जल वितरण के कार्य में विश्वा कंपनी का दखल समाप्त कर नगर निगम पूरी व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखे। संघ ने जनहित की यह लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की जाएगी।

अधिवक्ता संघ द्वारा आहूत बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने नर्मदा जल योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सचिव देवेंद्र यादव ने नगर निगम व विश्वा इंफ्रास्टक्चर एंड सर्विसेस प्रालि के मध्य हुए अनुबंध व भविष्य में उत्पन्न होने वाले परिणामों की जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि 1 सितंबर 12 से विश्वा कंपनी अपनी शर्तों में जल वितरण करेगी। कनेक्शन एवं मीटर चार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से 2500 से 17700 रुपए तक वसूलेगी। इसमें कनेक्शन मटेरियल चार्ज अलग से रहेगा जो कंपनी के निर्धारित स्थान से ही खरीदना होगा। अधिवक्ता लखन मंडलोई एवं पीसी जैन ने अनुबंध की शर्तों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर संघ शीघ्र ही प्रबुद्धजनों की बैठक आहूत करेगा। राजीव शर्मा ने कहा कि यह अनुबंध सितंबर 11 को ही समाप्त हो चुका है। कानून में ऐसा अनुबंध करने का अधिकार नगर निगम को नहीं है। निगम के पदाधिकारियों को शहरवासियों ने मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए चुना है। अपने अधिकार किसी कंपनी के पास गिरवी रखने के लिए नहीं चुना। हर्ष शर्मा ने कहा कि कंपनी 23 वर्षों में शहरवासियों से सवा तीन सौ करोड़ से अधिक वसूलेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष नागोरी ने कहा कि जलप्रदायगी के मामले में निगम को मनमाना और निरंकुश अनुबंध करने का कोई अधिकार नहीं है। महेश गुप्ता ने कहा कि अनुबंध निरस्त नहीं किया तो आने वाले समय में कंपनी मनमानी तांडव करेगी।

अधिवक्ता संघ की बैठक में उपस्थित अधिवक्तागण।

इस अवसर पर अधिवक्ता रविंद्र झंवर, दिलीप श्रीमाली, सरदारसिंह तंवर, बीए भाटे, शरद जैनी, शिवलाल सोनी, अजय पगारे, जीएस चौहान, रामेश्वरम् भाटे, अशोक खेड़े, जितेंद्र राऊत, मनोज तंवर, स्वाति अग्रिवाल सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।

ये लिए प्रस्ताव

- अधिवक्ता संघ गैर राजनीतिक व समाजसेवी संगठनों की मदद से इस मुद्दे पर सशक्त लड़ाई लड़ेगा। जरूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाय की जाएगी।
- जनजागरण अभियान प्रारंभ किया जाएगा।
- अनुबंध और विश्वा का दखल निरस्त करें। नगर निगम के हिस्से की 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करे।
- सस्ती दरों पर स्वच्छ जल मिले इसलिए राज्य सरकार उच्च स्तरीय समिति बनाए जिसमें अधिवक्ता संघ के 5 सदस्य शामिल करे।

विश्वा का पुतला फूँका

खंडवा। नर्मदा जल प्रदाय योजना को लेकर जनाक्रोश उभरने लगा है। कांग्रेस के बाद अब आम लोग भी इसकी खिलाफत में आवाज बुलंद करने लगे हैं। सोमवार को नगर निगम के समक्ष जनजागृति के मकसद से विश्वा कंपनी का पुतला दहन किया गया। नर्मदा जल योजना से प्यास बुझाने के लिए भारी कीमत चुकाने और कंपनी के कठोर बंधनों को देखते हुए लोगों में आक्रोश पनपने लगा है। नगर निगम से इन शर्तों पर हुए अनुबंध को जनविरोधी करार देते हुए जाकिर सिपाही, उमेश कपूर के नेतृत्व में नगर निगम पर विश्वा कंपनी का पुतला फूँका गया। इस मौके पर उपस्थित कांग्रेसी पार्षद रिंकू सोनकर ने बताया कि कांग्रेस शुरू से ही नर्मदा जल योजना में व्याप्त विसंगतियों एवं धाँधलियों का पुरजोर विरोध करती रही है। अब आम लोग भी इसकी हकीकत जान गए हैं। यदि योजना के अव्यवहारिक मुद्दों को नहीं हटाया गया तो लोग सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे। नेताओं को इससे सबक लेना चाहिए।

निगम के समक्ष पुतला जलाकर नारेबाजी करते हुए लोग।

निजीकरण के विरोध में जनजागरण

गुजराती धर्मशाला में चर्चारत संघर्ष समिति के सदस्य।

खंडवा। शहरवासियों को पेयजल के लिए निजी कंपनी की गुलामी से बचाने के लिए सामाजिक संस्थाओं व संगठनों ने जनजागरण की राह अख्तियार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। रविवार को आहूत बैठक में संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं गणमान्यजनों अनुबंध की शर्तों की जमकर खिलाफत की।

गुजराती धर्मशाला में नर्मदाजल संघर्ष समिति द्वारा नर्मदाजल योजना को लेकर बैठक आहूत की जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्यजन उपस्थित हुए। जिन्होंने योजना के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।

बैठक में आरटीई कार्यकर्ता नारायण नागर, जगन्नाथ माने, अधिवक्ता संघ सचिव देवेंद्र सिंह यादव, पार्षद रमेश सुनगत, रिकू सोनकर, रियाज हुसैन, ओमप्रकाश आर्य, अनिल माहेश्वरी, पेंशनर्स एसोसिएशन के मांगीलाल कानूनगो, सीमा प्रकाश, जय नागड़ा, बीए भाटे, पंकज लाड़ सहित बड़ी संख्या में गणमान्यजन उपस्थित थे।

चर्चा में रहे मुद्दे

- सर्वप्रथम जनता को बताए कि आपको पानी के बदले कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे और किस दर से।
- सभी पार्षदों की बैठक आयोजित की जाए। जनता अपने पार्षद से योजना के बारे में पूछे की वह सहमत है कि नहीं।
- जनता के बीच जनमत संग्रह किया जाए।
- सभी क्षेत्रों में पब्लिक मीटिंग आयोजित की जाए।
- शहर की सभी संस्था को योजना के बारे में अवगत कराए।
- नर्मदाजल संघर्ष समिति को विधिवत रूप से बनाने के लिए कलेक्टर से मुलाकात जल्द की जाए।
- समिति ज्ञापन बनाकर कलेक्टर और एसपी को सौंपे तथा योजना से अवगत कराए वहीं जन आंदोलन होने पर निगम जिम्मेदार रहेगा। इस संबंध में जानकारी दें।
- किसी भी स्थिति में 23 वर्षों तक माँ नर्मदा का दोहन नहीं होने देंगे।
- बैठक के अंत में शहरवासियों से संपत्ति व जल कर जमा न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा भी अन्य मुद्दों पर विचार हुआ।-निप्र

विश्वा को हटाकर नगर निगम खुद संभाले जल वितरण की कमान

अनुबंध का विरोध

खंडवा। नर्मदाजल की निजीकृत जलप्रदाय परियोजना की अव्यावहारिक और तानाशाहीपूर्ण शर्तों के विरुद्ध जनजागृति अभियान छेड़ा जाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो शहर बंद और जेल भरो आंदोलन का सहारा लिया जाएगा। नगर निगम एवं जल वितरण करने वाली कंपनी के बीच हुआ अनुबंध जनविरोधी है। इसे तत्काल निरस्त कर जल वितरण का दायित्व नगर निगम निर्वाह करे।

नर्मदा जल की शर्तों और अनुबंध के खिलाफ बार एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित बैठक को संबोधित करते श्री श्रीमाली।

यह निर्णय शुक्रवार को जिला अधिवक्ता संघ के आव्हान पर आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, संस्थाओं एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा प्रबुद्धजन उपस्थित थे। शहर की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए जन निजी भागीदारी योजनांतर्गत आकार दी जा रही नर्मदाजल योजना की शर्तों को लेकर जनाक्रोश पनपने लगा है। 106.72 करोड़ रुपए की लागत वाली कंपनी को सारे मुनाफे का मालिक बनाना लोगों को रास नहीं आ रहा है।

छोटे एवं मझोले शहरों को अधोसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत खंडवा शहर को नर्मदाजल योजना के लिए केंद्र सरकार ने 80 प्रतिशत 93.25 करोड़ रुपए तथा प्रदेश सरकार ने 10 प्रतिशत 10.36 करोड़ रुपए अनुदान दिया है। इसमें 10 प्रतिशत राशि नगर निगम को लगाना था लेकिन योजना को जन निजी भागीदारी में शामिल करने से यह निवेश विश्वा कंपनी कर रही है। इस प्रकार मात्र 10 प्रतिशत की राशि लगाने वाली निजी कंपनी को आगामी 23 वर्षों का तक योजना का संचालन और कर वसूली का अधिकार व्यवहारिक नहीं है।

नर्मदाजल का प्रदाय करने के लिए विश्वा यूटिलिटीज हैदराबाद एवं नगर निगम के बीच हुए अनुबंध के शेड्यूल एक्स में दी गई शर्तें सामने आने के बाद शहरवासियों में योजना को लेकर खलबली मच गई है। इन शर्तों को शहर एक निजी कंपनी के पास 23 वर्षों तक गिरवी रखने जैसी करार देकर इन्हें मूलभूत अधिकारों के विपरित बताया जा रहा है। शर्तों से कंपनी तानाशाह की तरह उपभोक्ताओं का शोषण करने के आरोप सामने आ रहे हैं।

पेयजल वितरण के लिए जन निजी भागीदारी के तहत कदम उठाने वाला खंडवा देश का पहला शहर हो जाएगा। यहाँ उपभोक्ताओं को कंपनी के अलावा अन्य किसी भी जलस्रोत से प्यास बुझाने की अनुमति नहीं होगी। शहर में किसी भी सार्वजनिक प्रायोजन या गरीबों के लिए नि:शुल्क जल वितरण की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। लोगों को मीटर रिडिंग के आधार पर पेयजल का भुगतान करना होगा। किन्हीं तकनीकी कारणों से जल वितरण में व्यवधान आने पर उपभोक्ता को स्वयं पेयजल की व्यवस्था करना होगा। कंपनी की सेवा या सुविधाओं को न्यायालय में चुनौती का अधिकार भी उपभोक्ता को नहीं होगा।

वर्तमान में नगर निगम के वैध कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को भी फिर से कनेक्शन लेना होगा। इसके लिए कंपनी द्वारा स्वीकृत पाइप लाइन एवं सामग्री का उपयोग करने की बाध्यता होगी। जल उपयोग की श्रेणी के आधार पर कंपनी के प्रावधानों के तहत नल संयोजन लेना पड़ेगा।

झलकियाँ

- नर्मदाजल परियोजना के निजीकरण से आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने का निर्णय भी लिया गया। जनहित की लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने के लिए साहित्यकार ललितनारायण उपाध्याय ने 5 हजार रुपए की राशि का चेक जिला अधिवक्ता संघ को प्रदान किया। कांग्रेसी नेता सदाशिव भंवरिया ने भी 11 हजार रुपए की राशि देने की घोषणा की।
- बैठक में मुद्दे से भटकने और ज्यादा लंबा भाषण देने की बात पर टोकाटाकी कई लोगों को नागवार गुजरी।
- बैठक में सभी का विरोध परियोजना की शर्तों पर था, न कि परियोजना पर।
- निजी कंपनी की शर्तों के विरोध में आहूत बैठक में मुट्ठीभर लोग ही शरीक हुए। इसे लेकर भी कुछ लोगों ने खिन्नता जताई।
- बैठक में निगमायुक्त एवं विश्वा कंपनी से कोई नहीं आने पर कटाक्ष करते हुए मुकेश नागौरी ने इसमें भ्रष्टाचार की बू आने की बात कही।
- अधिवक्ता संघ के इस कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता विकास चौधरी ने किया।

भाजपाइयों ने बनाई दूरी

शहरवासियों के जहन में उठने वाले सवालों एवं चिंताओं को देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ ने शुक्रवार को बार रूम में शहर की सभी सामाजिक संस्थाओं एवं गणमान्यजनों की बैठक आयोजित कर विचार-विमर्श किया गया। इसमें नगर निगम आयुक्त, विश्वा कंपनी के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कुछ पार्षदों के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि या सत्तासीन भाजपा का कोई नुमाइंदा बैठक में नहीं पहुँचा।

आंदोलन से लाएँगे जागृति

बार रूम में सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक में जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों, सामाजिक संस्था मंथन के पदाधिकारियों एवं गणमान्यजनों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर उपस्थित लोगों को नर्मदाजल परियोजना से संबंधित 11 बिन्दुओं पर अभिमत के साथ एक पर्चा भी भरवाया गया। सभी वक्ताओं ने जिला अधिवक्ता संघ की इस पहल की प्रशंसा करते हुए इसे शहरहित एवं जनहित में उठाया जाने वाला कदम निरूपित किया गया। लगभग 4 घंटे चली बैठक में सामने आए विचारों के आधार पर एक संघर्ष समिति गठित करने और चरणबद्ध आंदोलन के सहारे जनजागृति का निर्णय लिया गया। -नि

हर स्तर पर लड़ी जाएगी जनहित की लड़ाई

- डॉ. मुनीश मिश्रा ने नर्मदाजल योजना के निजीकरण को मुर्खतापूर्ण करार देते हुए इसे शहर को गिरवी रखने जैसा कदम बताया। उन्होंने शहर की बदहाल सड़कों को विश्वा कंपनी की मनमानी का परिणाम बताया।

मुनीश मिश्रा

- चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रकाशचंद्र बाहेती ने बताया कि पेयजल वितरण व्यवस्था की शर्तें एवं तकनीकी पहलुओं से सभी हताश है। अधिवक्ता संघ की पहल प्रशंसनीय है। इसके पूर्व नागचून की जमीन बचाने के लिए भी शहर के बुद्धिजीवी लड़ाई लड़ चुके हैं।

प्रकाश बाहेती

- अधिवक्ता मुकेश नागौरी ने कहा कि विश्व में तीसरा युद्ध पानी के लिए होने की बात कही जाती है जिसके आसार खंडवा में नजर आने लगे हैं। निजी कंपनी एवं नगर निगम की मनमानी के विरुद्ध आमजन को सड़क पर उतरना होगा। यह कानूनी लड़ाई से ज्यादा प्रभावी होगा। नगर निगम का दायित्व मूलभूत सेवाएँ मुहैया करवाना है। यदि वह जल वितरण का कार्य ठेके पर देती है तो निगम की फिर क्या आवश्यकता है। यदि निगम कंगाल है तो परियोजना की 10 फीसद राशि शहरवासियों से एकत्र कर कंपनी को यहाँ से भगाना चाहिए।

मुकेश नागोरी

- अधिवक्ता मंडलोई ने नर्मदाजल योजना के अनुबंध की अव्यवहारिक शर्तों के लिए पुरजोर ढंग से लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष समिति के गठन का प्रस्ताव रखा।
- साहित्यकार ललितनारायण उपाध्याय ने कहा कि शहर को जलसंकट से निजात के लिए नर्मदाजल योजना की जरूरत है लेकिन इसकी शर्तें आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तय होना चाहिए।

एलएन उपाध्याय

- भाजपा प्रवक्ता सुनिल जैन ने नर्मदाजल योजना के अनुबंध की शर्तों एवं नियमों पर विरोध जताते हुए नर्मदाजल परियोजना को शहर के लिए आवश्यक बताया।
- जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिलीप श्रीमाली ने पेयजल की दरों एवं इसके अनुबंध की खिलाफत की। उन्होंने संघ द्वारा निर्धारित बिंदुओं पर आमजन से अपने विचार देने की पेशकश की।
- पूर्व पार्षद चैनसिंह वर्मा ने पेयजल वितरण की निजी व्यवस्था को जनता के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके पूर्व भी पाइप लाइन के कार्य में गुणवत्ता का मामला उठा चुकी है। चारखेड़ा से नया हरसूद तक पाइप लाइन को सीमेंट-कांक्रीट का फाउंडेशन बनाकर लाया गया है। यहाँ तक लाने में यह तकनीक क्यों नहीं अपनाई गई।
- कांग्रेसी अजय ओझा ने इस अनुबंध को देश का अनोखा अनुबंध बताया। उन्होंने कहा कि अब जनता जाग गई है। गलत करने वाले हवालात जाएँगे। कानूनी लड़ाई के पूर्व मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिलकर वास्तविकता से अवगत करवाना चाहिए।

अजय ओझा

- पीसी जैन ने बताया कि रणनीति बनाने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। इसका मकसद किसी की बुराई नहीं है।
- मंथन अध्ययन केंद्र के रेहमत भाई ने बताया कि यह मसला आम लोगों से जुड़ा हुआ है इसलिए उन्हें आगे आकर लड़ाई लड़नी होगी। संस्था इसमें तकनीकी मदद मुहैया करवाने को तत्पर है। उन्होंने 24 घंटे 7 दिन पानी मुहैया करवाने के बिंदु को अव्यवहारिक बताया।

रेहमतभाई

- पार्षद रिंकू सोनकर ने परिषद को गुमराह कर नर्मदाजल योजना का प्रस्ताव पास करवाने का आरोप लगाया।

रिंकू सोनकर

- राकेश तंतवार ने कहा कि जनता से पैसा लेकर शहर को गिरवी रखने से बचाना चाहिए। कांग्रेसी पार्षद इसके लिए एक माह का मानदेय देने को तैयार है।
- अमरचंद कटारिया ने कहा कि 3 साल से योजना का कार्य चल रहा है लेकिन समाज सोता रहा। अधिवक्ता संघ की पहल पर एक प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए। इसमें निगम ही जल वितरण करे ऐसी व्यवस्था हो। कंपनी को केवल शहर तक पानी लाने का काम देना चाहिए।

एसी कटारिया

- कांग्रेस शहर अध्यक्ष जतीन पटेल ने कहा कि अजय ओझा, जगन्नाथ माने एवं नारायण नागर के प्रयासों से आज यह माहौल बना है। ये तीन शुरू से योजना की खामियों के लिए लड़ रहे हैं। नर्मदाजल यदि वर्तमान शुल्क पर ही मिलने पर सांसद अरुण यादव ने केंद्र से शेष राशि दिलवाने की बात कही है। नर्मदाजल योजना के विरोध में शहर बंद जैसे कदम उठाकर प्रदर्शन करना चाहिए। कांग्रेस के विशेष सम्मेलन से ही अनुबंध के जहरीला डंक सामने आया है।

जतिन पटेल

- पेंशनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष मोंगिलाल कानूनगो ने चेतावनी देते हुए कहा कि नगर निगम को तत्काल अनुबंध निरस्त कर व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहिए। अन्यथा ऐसी नगर निगम को भी तत्काल भंग करने का कदम उठाना चाहिए।

एमएल कानूनगो

- मंथन के गौरव द्विवेदी ने कहा कि नर्मदाजल परियोजना के निजीकरण का विरोध में पीएलओ जैसी कानूनी लड़ाई की बजाय जनजागृति उचित कदम है।
- अधिवक्ता संघ के वीए भाटे ने कहा कि इमरजेंसी के समय भी लोगों को न्याय के लिए न्यायालय जाने से नहीं रोका गया था लेकिन नर्मदाजल योजना में लोगों को अपनी शिकायत का कोई अवसर नहीं है।

वीए भाटे

नर्मदाजल के अनुबंध की विसंगतियों एवं शर्तों की ओर पत्रकारों ने भी अपने विचार रखे और जनहित के इस मुद्दे पर हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।